Notice

Through the notification dated 06.03.2020 published in the Madhya Pradesh Gazette, objections or suggestions on the draft Bhopal Development Plan, 2031 have been invited within 30 days under Section-18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns declared phase-wise by the State Government due to Covid-19 epidemic. Therefore, in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances, it was notified by notification dated 08.06.2020 in Madhya Pradesh Gazette that the amended period for submission of objections or suggestions on the said Draft would be 30 days after the expiry of the last lockdown for Bhopal in the series of continuing lockdowns.

In view of unlocking of lockdown in phased manner and the fact that there is no further difficulty to the general public in submission of objections or suggestions and in pursuance of order no F-3-32/2020/18-5, Bhopal, dated 06.07.2020 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notices, dated 06.03.2020 and 08.06.2020, it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate - http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm and at following offices during office hours namely :-

1- Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
2- Collector, District Bhopal
3- Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal
4- Joint Director, Town and Country Planning, District Office Bhopal, M.P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, District Office Bhopal or on email ID- obj-sugg-bpl@mp.gov.in, before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1093-भू.प्र.-2020 ग्वालियर, दिनांक 9 जुलाई 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है की नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं -

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डिंडोरी	डिंडोरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	डिंडोरी	शहपुरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

3	डिंडोरी	बजाग	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	हरदा	हरदा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	हरदा	टिमरनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	हरदा	खिरकिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	हरदा	रहटगाँव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	हरदा	सिराली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	हरदा	हंडिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 148-दो-16-8-15.—श्री इकबाल खान गौरी, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री इकबाल खान गौरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2020 को (शेष संचित अर्जित अवकाश 262 में से 202 दिवस की पात्रता अनुसार एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 554 दिवस के आधार पर) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश — 202
   अर्द्धवेतन अवकाश — 98

   योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 202 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = $\frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 98$

जिला एवं सत्र न्यायाधीश.